संख्या-17/2016-646 ई-2/तेरह-2016-33/2012

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 22 मार्च,2016

विषय:- मेसर्स गोदरेज एग्रोवेट लि0, बी-15 औद्योगिक क्षेत्र, रामनगर, चन्दौली की वार्षिक शीरा उपभोग क्षमता 60,000 कुण्टल निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-133/दस-शीरा-140सी/212/वा0शी0उ0/2012-13, दिनांक 26 फरवरी,2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 26 फरवरी,2016 में की गई संस्तुति के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स गोदरेज एग्रोवेट लि0, बी-15, औद्योगिक क्षेत्र, रामनगर, चन्दौली की वार्षिक शीरा उपभोग क्षमता 19,500 कुण्टल वार्षिक से बढाकर 60,000 कुण्टल वार्षिक निर्धारित किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in